उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा (उ0प्र0) – 206 130
Uttar Pradesh University of Medical Sciences
Saifai, Etawah – 206 130

पत्रांक सं0: 567 / यू0पी0यू0एम0एस0 / एम0एम0–विभाग / 22–23 दिनांक: 13 सितम्बर, 2022

सेवा में,

M/s Complab Equipment Inc.
Opp, Fisheries Directorate,
Near Ramadheen singh Inter college, Faizabad Road,
P.O. Nirala Nagar, Lucknow

विषयः सी0एम0सी0 अवधि के दौरान कोल्ड रूम की सर्विस न किए जाने के कारण पी0बी0जी0 जब्त करने तथा फर्म को काली सूची में डाले जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि आपकी फर्म द्वारा विश्वविद्यालय के सी0एम0एस0डी0 में आपूर्ति आदेश संख्या 1823 / पर0 / रिम्सएण्डआर / 306 / 08–09 दिनॉक 25.11.2008 के सापेक्ष कोल्ड रूम की स्थापना दिनॉक 2.02. 2010 को की गयी है। उक्त कोल्ड रूम की वारण्टी अवधि के पश्चात सी0एम0सी0 अनुबंध आपकी ही दूसरी सहयोगी फर्म M/s Composite Lab line Pvt. Ltd. Lucknow द्वारा किया गया है जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा सी0एम0सी0 अवधि के दौरान सुचारू रूप से सर्विस नहीं दी गयी है जिसके कारण विश्वविद्यालय का कार्य प्रभावित हुआ है।

अतः आपको उपकरण के भुगतान के समय पी0बी0जी0 मद में की गयी कटौती रू0 1,49,250.00 विश्वविद्यालय द्वारा जब्त की जाती है तथा आपकी फर्म को इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष हेतु विश्वविद्यालय की काली सूची में डाला जाता है।

उक्त पत्र आपको सूचनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

भवदीय

(डॉ धीरज कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक (सा0प्र0)

प्रतिलिपिः–

1. वित्त अधिकारी को इस आशय से प्रेषित की उक्त उपकरण के भुगतान के समय पी0बी0जी0 मद में रोकी गयी धनराशि को जब्त करना चाहें।
2. प्रभारी, सीएसी0 को इस आशय से प्रेषित की यह सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहें।
3. कार्यालय प्रति।

(डॉ धीरज कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक(सा0प्र0)